

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक- वा0क0अधि0/खण्ड पीठ/818 /2023 दि0 लखनऊ: 20 जून, 2023

**-:संशोधित आदेश:-**

मुख्यालय के आदेशांक 798/2023 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा माह जुलाई 2023 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था।

सदस्य पीठ-5 वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 292/23 दिनांक 19.06.2023 द्वारा दिनांक 10.07.2023 को अवकाश पर रहने के कारण वाराणसी में गठित युगल पीठ दिनांक 10.07.2023 से 14.07.2023 के स्थान पर दिनांक 24.07.2023 से 28.07.2023 तक नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सदस्य पीठ-5 वाराणसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.06.2023 में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वाराणसी में गठित युगल पीठ में निम्न संशोधन किया जाता है-

बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	दि0 10.07.2023 से 14.07.2023 तक दि0 24.07.2023 से 28.07.2023 तक	सदस्य पीठ-3 वाराणसी सदस्य पीठ-4 वाराणसी सदस्य पीठ-3 वाराणसी सदस्य पीठ-5 वाराणसी	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय

शेष स्थिति यथावत रहेंगी।

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण।  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रष्ठांकन- वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 818 /2023 दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- 1,2,3,4,5, व 6 वाराणसी।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।